भीम BHIM

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकःप.12(1)नविवि/बाडमेर/2022 **जयपुर, दिनांकः** 17/06/2022

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् (1959) की धारा 32 कह उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि नगर विकास न्यास, बाड़मेर ने राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम लालाणियों की ढाणी के खसरा संख्या 1158/767 रकबा 18–07 बीघा एवं 760 रकबा 08–14 बीघा की भूमि जिनका कुल क्षेत्रफल 27–01 बीघा भूमि पर ''सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालय, वाणिज्यिक एवं आवासीय योजना'' तैयार किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना की सीमाएं निम्नानुसार है :–

उत्तर – खसरा नम्बर 428 कटान रास्ता, खसरा नम्बर 1127/758

दक्षिण – खसरा नम्बर 1170/768, 1183/768, 1182/768, 1181/768, 1168/768, 1167/768, 1166/768, 1165/768 व कटाण खसरा नम्बर 428

पूर्व – खसरा नम्बर 1170/768, 1171/768, 1172/768, 1169/768, 1173/768 व 1624/758

पश्चिम – खसरा नम्बर 1141/761 एवं एनएच जोधपुर रोड़ से सिणधरी रोड़ जाने वाला 66 फीट कटाण मार्ग तथा राजस्व ग्राम बाड़मेर आगोर की सीमा।

उपरोक्त योजना का कुल क्षेत्रफल 27–01 बीघा है। इस योजना में क्षेत्रफल का विवरण तथा नक्शा कार्यालय नगर विकास न्यास, बाड़मेर में उपलब्ध है तथा किसी भी कार्य दिवस में 3 बजे से 5 बजे तक देखा जा सकता है।

उक्त योजना राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 6 माह तक प्रभावशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

16/6/2022

(नवनीत कुमार)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोन।
5. उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक .... में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
7. रक्षित पत्रालवी।

संयुक्त शासन सचिव द्वितीय